**भारत सरकार**
**विदेश मंत्रालय**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या- 856**
**दिनांक 29.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**विदेशी जेलों में बंद भारतीय मछुआरे**

**856. कु. सुधा आर.:**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कितने भारतीय मछुआरों को विदेशी सरकारों द्वारा गिरफ्तार किया गया है और उनकी जेलों में बंद किया गया है और कितनी मछली पकड़ने वाली नौकाएँ और ट्रॉलर विदेशी सरकारों की हिरासत में हैं;

(ख) मछुआरों और उनकी मछली पकड़ने वाली नौकाओं, जो गिरफ्तार मछुआरों की आजीविका का स्रोत हैं, की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार के पास इन देशों को भेजे गए पत्रों की प्रतियां हैं और उन पत्रों के प्रत्युत्तर में उक्त देशों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या तमिलनाडु के मछुआरों को श्रीलंका के सुरक्षा बलों द्वारा बार-बार गिरफ्तार किए जा रहे जटिल मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष उठाने की सरकार की योजना है क्योंकि यह श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा विवाद से संबंधित है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विदेश राज्य मंत्री**

**[श्री कीर्ति वर्धन सिंह]**

(क) से (घ) 2024 तक विदेशों में पकड़े गए मछुआरों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं का ब्यौरा:

| देश | हिरासत में लिए गए मछुआरों की संख्या | हिरासत में ली गई नावों/ट्रॉलरों की संख्या |
|---|---|---|
| श्रीलंका | 141 (45 विचाराधीन, 96 सजा काट रहे हैं) | 198 |
| बांग्लादेश | 95 | 06 |
| पाकिस्तान | 211* | 1172 |
| बहरीन | 37 | शून्य |
| सऊदी अरब | 25 | शून्य |
| कतर | 04 | शून्य |

*21 मई 2008 को हस्ताक्षरित भारत-पाकिस्तान 'कोंसली सहायता संबंधी करार' के आधार पर 1 जुलाई 2024 को साझा की गई सूची के अनुसार।

भारत सरकार भारतीय मछुआरों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। मछुआरों से संबंधित मुद्दे को द्विपक्षीय तरीके से निपटाया जाता है और सरकार राजनयिक चैनलों, विभिन्न आधिकारिक संवादों और स्थापित द्विपक्षीय तंत्रों के माध्यम से संबंधित सरकारों के साथ मछुआरों से संबंधित मुद्दों को उठाती रही है जिसमें भारतीय मछुआरों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं की शीघ्र रिहाई और प्रत्यावर्तन शामिल है। भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई और

प्रत्यावर्तन संबंधी मामला सभी स्तरों पर संबंधित देशों के साथ लगातार उठाया जाता है और यह अनुरोध किया जाता है कि इस मुद्दे पर विशुद्ध रूप से मानवीय और आजीविका के आधार पर विचार किया जाए। इसके अलावा, संबंधित देशों में स्थित हमारे मिशन और कोंसलावास भारतीय मछुआरों की स्थिति का पता लगाने और कानूनी सहायता सहित अपेक्षित मदद और सहयोग प्रदान करने के लिए स्थानीय जेलों और हिरासत केंद्रों का नियमित दौरा करते हैं। हमारे मिशन रिहा किए गए मछुआरों की भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक यात्रा दस्तावेज भी उपलब्ध कराते हैं।

श्रीलंका के संबंध में, अक्टूबर 2024 में अपनी यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री ने नए राजनीतिक नेतृत्व के साथ मछुआरों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इस मुद्दे को द्विपक्षीय संस्थागत तंत्रों जैसे मत्स्य पालन संबंधी द्विपक्षीय संयुक्त कार्य समूह की नियमित बैठकों के माध्यम से भी निपटाया जाता है, जिसमें तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। मत्स्य पालन पर पिछली जेडब्लूजी बैठक 29 अक्टूबर 2024 को हुई थी। निरंतर कूटनीतिक प्रयासों से, सरकार ने चालू वर्ष के दौरान 363 मछुआरों की रिहाई और प्रत्यावर्तन सुनिश्चित किया है, तथा अतिरिक्त 12 मछुआरों को रिहा किया गया है और वर्तमान में उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है।

बांग्लादेश से मछुआरों की रिहाई का मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है।

21 मई 2008 को हस्ताक्षरित भारत-पाकिस्तान 'कोंसली सहायता संबंधी करार' के अनुसार, प्रत्येक देश के नागरिक कैदियों और मछुआरों, जो दूसरे देश की जेलों में बंद हैं, की सूची का प्रतिवर्ष आदान-प्रदान 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है। तथापि, पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं की संख्या के बारे में नहीं बताया है।

(ड) से (च) मछुआरों के समक्ष उपस्थित मुद्दे द्विपक्षीय प्रकृति के हैं और तदनुसार, भारत और श्रीलंका के बीच विभिन्न स्तरों पर द्विपक्षीय रूप से चर्चा की जाती है। इसके अलावा, भारत और श्रीलंका के बीच मत्स्य पालन संबंधी संयुक्त कार्य समूह जैसे संस्थागत तंत्र हैं, जिसमें दोनों पक्षों के

विभिन्न हितधारक शामिल हैं, जो दोनों देशों के मछुआरों से संबंधित मुद्दों से जुड़े समस्त पहलुओं पर चर्चा करने के लिए समय-समय पर बैठक करते हैं।

*****